रजिस्टर्ड सं. डी—(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1990 (अग्रहायण 24, 1912)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1990 (AGRAHAYANA 24, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	775
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1395
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	1855
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियों आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	1185
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	1395
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3967
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	181
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	775
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1395
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	9
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1855
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1185
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	1395
PART III—SECTION 3 Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3967
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	181
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not receive

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1990

संकल्प

सं० डी०टी०—1/II(90/90—भारत सरकार ने हाईड्रॉलिक तथा न्यूमेटिक उद्योग के लिए इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से एक विकास नामिका का गठन करने का निर्णय किया है :—

1. श्री एम० एस० श्रीनिवासन — अध्यक्ष
   कार्यकारी निदेशक
   विक्कर्स मिल्टमस इन्टरनेशनल लि०
2. श्री एच० के० शाह, प्रबन्ध निदेशक — सदस्य
   शैव नारग्रीन (इंडिया) प्रा०लि०
3. श्री सी० पी० रंगाचार, प्रबन्ध निदेशक — ,,
   यूकीन इंडिया लि०
4. श्री सीतापती राव, मुख्य कार्यकारी — ,,
   विपरो लि०
5. श्री विनोद रेखी, महा-प्रबन्धक — ,,
   डेनफोस इंडिया लि०
6. श्री एस० गांधी, प्रबन्ध निदेशक — ,,
   जी एल रेकमरीथ इन्डस्ट्री लि०
7. श्री जी० जी० चिटनीस, प्रबन्ध निदेशक — ,,
   स्टेन्डर्ड हाईड्रोलिक (इंडिया) लि०
8. मै० एल० एण्ड टी० बंगलूर का एक प्रतिनिधित्व — ,,
9. मै० एस्कार्टस (ट्रैक्टर प्रभाग) का — ,,
   एक प्रतिनिधि
10. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (मशीन टूल प्रभाग) — ,,
    का एक प्रतिनिधि
11. फाईकेक्नर विन्डसर लि० का एक प्रतिनिधि — ,,
12. भारत अर्थ मूवर्स लि० का एक प्रतिनिधि — ,,
13. इंडियन मशीन टूल मैन्यूफैक्चरिंग का — ,,
    अध्यक्ष
14. मै० ट्रैक्टर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का — ,,
    अध्यक्ष
15. मै० अर्थ मूवीग मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स — ,,
    एसोसिऐशन का एक प्रतिनिधि
16. माइनिंग एण्ड एलाएड मशीनरी कारपोरेशन — ,,
    का एक प्रतिनिधि
17. श्री डी० बी० मलिक, भा० स० त०वि०म०नि० — ,,
18. डा० बी०आर० चावला, भा०स० — ,,
    त० वि० म० लि०
19. ब्यूरो आफ इंडियन स्टैन्डर्ड का एक प्रतिनिधि — ,,
20. सैन्ट्रल मशीन टूल इन्स्टीच्यूट का एक प्रतिनिधि — ,,
21. भा० विकास विभाग का एक प्रतिनिधि — ,,
22 श्री ए०एस० पुन्हले, वि०अ०त०वि०म० लि — सदस्य सचिव

प्रस्तावित विकास नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. उद्योग के वर्तमान स्तर की समीक्षा करना, भावी विकास का परिप्रेक्ष्य तथा इसके उत्थान के लिए उपाय सुझाने हेतु संबंधित क्षेत्रों जैसे टूल्स, अर्थ मूविंग मशीनरी ट्रैक्टर्स माईनिंग मशीनरी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें तथा अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों को ध्यान में रखकर उनके विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
2. उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर अन्तराल हो जैसे वह क्षेत्र जहां पर भारतीय उत्पादनकर्ता अभी तक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।
3. आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रवार मांग का अनुमान तथा मांग का प्रचलन।
4. प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन सुधार, ऊर्जा/पदार्थ संरक्षण इत्यादि के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम मूल्य लाने के लिए उपाय सुझाना।
5. उन सीमाओं की जांच करना जहां तक मानकीकरण प्राप्त कर लिया है और ब्यूरो आफ इंडियन स्टेन्डर्ड से परामर्श करके आगे मानकीकरण के विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना तथा मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए।
6. हाईड्रोलिक एक न्यूमेटिक इक्यूपमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा भविष्य निर्देशों को केन्द्रीभूत करना।
7. निर्यात बढ़ाने के उपायों पर सुझाव देना।
8. अनुसंधान एवं विकास
9. आवश्यक मुख्य निवेश का अनुमान लगाना तथा उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां ऐसे निवेश की आवश्यकता है जिसमें गुण लागत तथा उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता हो।
10. हाइड्रोलिक एण्ड न्यूमेटिक इक्यूपमैन्ट उद्योग की उन्नति से संबंधित समझे जाने वाले कोई अन्य विशेष पहलू।

आदेश :—

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संघटकों को संचालित की जाए। यह भी आदेश दिये जाते हैं कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचनार्थ के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

मदन मोहन
(निदेशक प्रभा०) एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1990

संकल्प

सं० 18-13/89-एल०डी० 2—दिनांक 26-2-1985 के संकल्प संख्या 37-58/83-एल० डी० 2 के अधिक्रमण में भारत सरकार ने, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्रों, केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय रीड विश्लेषण प्रयोगशालाओं के लिए एक प्रबंधक समिति की स्थापना की है। प्रबंधक समिति का संगठन निम्न प्रकार है :—

(1) विशेष सचिव (गिरी)	अध्यक्ष
(2) पशुपालन आयुक्त	सदस्य
(3) वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(4) उपसचिव/निदेशक (पशुपालन)	सदस्य
(5) संयुक्त सचिव (कुक्कुट)	सदस्य सचिव
(6) सी पी बी एफ/सी डी बी फ/आर एस पी अन्वीक्षक पोषक विज्ञानी	पी टी सी/आर एफ एस के निदेशक सदस्य

2. प्रबंधक समिति नीचे दिए गए कार्य और शक्तियों का प्रयोग करेगी :

(क) समस्त नीति विषयक मामलों पर विचार और अनुमोदन करना, प्राथमिकता का निर्धारण तथा योजनाओं की आवश्यकताओं से निपटने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को लाना ;

(ख) फार्मों के कार्य के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा ;

(ग) अनुमोदित कार्यक्रमों के संबंध में पुनर्विनियोजन की शक्तियों पर प्रतिबंधों के आधार पर पर्याप्त निधि के पुर्नआबंटन वाले वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करना और परिवर्तनों का अनुमोदन करना ;

(घ) कार्मिक प्रभाग से संबंधित सभी मामलों से संबंधित नीतियों पर विचार और सिफारिश;

(ङ) प्रबंधक समिति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर योजना संबंधी किसी मामले में जारी किए जाने वाले निर्देशों का पता लगाएगा ;

(च) प्रबंधक समिति, डेलीगेशन आफ फाइनेन्शियल पावर्स रूल, 1978 के नियम 13(2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार करेगी तथा यह प्रत्यायोजन निम्नलिखित शक्तियों को कवर नहीं करेगा ;

(1) पदों का सृजन,

(2) भाटों को अट्टे खाते में डालना और

(3) मूल बजट प्रावधानों के 10% से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन।

3. प्रबंधक समिति की वर्ष में दो बार बैठक होगी और अगर आवश्यक हुआ तो और भी शीघ्र।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, समस्त मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा भा० कृषि अनु० परिषद और महानिदेशक जहाजरानी को भेजी जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जनक जुनेजा
उप सचिव

कल्याण मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

पी आर ई एम (अनुसंधान) प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1990

संकल्प

फा सं० 4-5/89/(आर)/पी आर ई एम/म० एवं बा० वि०—महिला और बाल विकास के समाज कल्याण पहलू पर अनुसंधान सलाहकार समिति का, महिला एवं बाल विकास विभाग को निम्नलिखित मामलों में परामर्श देने के लिए एतद्द्वारा पुनर्गठन किया गया है :—

1. महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों, नीति निर्माण, और विकास संबंधी विषयों में अनुसंधान कार्यों का उपयोग करना, समन्वय करना तथा बढ़ावा देना,

2 अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों का पता लगाना और प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना,

3. वित्तीय सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किए गए अनुसंधान और अध्ययन को प्रस्तावों पर खर्च तथा उनकी सुव्यवस्थित सार्थकता, उनकी महत्ता और पर्याप्तता तथा,

4. उपरोक्त विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने से संबंधित कोई अन्य मामले।

1. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

सचिव (म० बा० वि०) महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली	सभ्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रभारी अनुसंधान) महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
3. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
4. निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, (निपसिड) नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
5. निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
6. संयुक्त सलाहकार (समाज कल्याण) योजना आयोग	सदस्य (पदेन)
7. डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (समाज अध्ययन) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)

8 निदेशक (अनुसंधान) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
9 प्रो० इंदिरा चक्रवर्ती, अध्यक्ष, पोषाहार विभाग, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता	सदस्य
10 निदेशक टाटा समाज विज्ञान संस्थान बम्बई।	सदस्य
11 डा० आर० मुरलीधरन प्राध्यापक, स्कूल पूर्व शिक्षा विभाग एन सी ई आर टी, नई दिल्ली।	सदस्य
12 डा० एस० के भार्गव डी-7, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
13 श्री सुधाकर प्रसाद सिंह के-2135, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
14 डा० (श्रीमती) वी० वीरा राघवन प्राध्यापक, मनोविज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय (साऊथ कैम्पस) नई दिल्ली।	सदस्य
15 डा० (श्रीमती) अशागरी मोहिउद्दीन, निदेशक (महिला सैल) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।	सदस्य
16 डा० (श्रीमती) आरती गांगुली निदेशक, महिला अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता।	सदस्य
17. श्रीमती रेणु सरीन ए 4/4, वसंत विहार, नई दिल्ली।	सदस्य
18 डा० सरस्वती स्वाई 20, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011	सदस्य
19 डा० जे० पार्थीपन 67, एम०सी० रोड अम्बर, जिला डा० अम्बेदकर, तमिलनाडू	सदस्य
20 डा० सुचारू हासिनी पतरा 20 अकबर रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
21 निदेशक (अनुसंधान) महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव (पदेन)

3 समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 1993 तक होगा। सरकार इस अवधि को बढ़ा या घटा सकती है।

4 समिति की सदस्यता के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किन्तु सरकारी सदस्य संबंधित विभागों में लागू नियमों के अनुसार इस कार्य के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता इत्यादि प्राप्त करने के हकदार होंगे। समिति के गैर-सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं के लिए भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय दरों के समतुल्य यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीमती एम० के० चौधरी
संयुक्त सचिव

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1990

सं० एस०वाई०-22013/7/89-एस० बी० आर०-- भारतीय जहाजों की विदेश में मरम्मत पर विशाल विदेशी मुद्रा व्यय और भारतीय शिपयार्डों में विदेशी जहाजों की मरम्मत से विदेशी मुद्रा के अर्जन की सम्भावना के सन्दर्भ में, देश में जहाज मरम्मत उद्योग के विकास की अत्यावश्यकता को देखते हुए 100% निर्यात परक यूनिटों को उपलब्ध कुछ विशिष्ट रियायतें/सुविधाएं, दोनों भारतीय तथा विदेशी समुद्र गामी जहाजों की मरम्मत के लिए सरकार ने 1982 में जहाज मरम्मत उद्योग को प्रदान करने की स्वीकृति दी तदनुसार तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) द्वारा एक प्रेसनोट सं० एस० डब्ल्यू०/एस० बी० आर०/9(6)/82 दिनांक 3 नवम्बर, 1982 जारी किया गया था। तथापि विगत वर्षों में सौ प्रतिशत निर्यातपरक यूनिटों को अन्य रियायतें और सुविधाएं दी गई हैं जो जहाज निर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं थी। जहाज मरम्मत उद्योग को उसी प्रकार की और अतिरिक्त सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार ने अब और रियायतों को स्वीकृति दे दी है। तदनुसार, जहाज मरम्मत उद्योग को समुद्रगामी जहाजों के लिए निम्नलिखित समग्र लाभ दिए जाएंगे :—

(i) सीमा शुल्क अधिकरण, इन यूनिटों को चाहे वे कहीं भी स्थित हों, बांड की सुविधाएं उपलब्ध कराए।

(ii) कल पुर्जों को आयात करने की मौजूदा सुविधा के साथ-साथ आयात शुल्क के बिना कच्चा माल और खपत की अन्य वस्तुओं और उपयोग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(iii) केपिटल गुड्स, कम्पोनेंट कच्चा माल और उपभोक्ता वस्तुओं का, जब भी जरूरत हो आयात किया जाए।

(iv) मुक्त विदेशी मुद्रा या द्विपक्षीय ऋण के आधार पूंजीगत वस्तुओं के आयात की नीति में इस तरह अनुमति दी जाए कि जिससे कि माल की कीमत अनुचित रूप से अधिक न हो।

(v) प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर ही विदेशी सहयोग या विदेशी विशेषज्ञों की अस्थायी सहायता लेने की अनुमति दी जाए।

(vi) एफ ई आर ए के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों में विदेशी इक्विटी मिलाने की शर्तें जहाज मरम्मत उद्योग में पूंजी लगाने के लिए लागू नहीं होंगी। बड़ी फर्मों या एम आर टी पी को इस उद्योग से पूंजी लगाने के लिए सामान्य ऋण/इक्विटी अनुपात पर वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की अनुमति होनी चाहिए।

(vii) भारत में उपलब्ध पुर्जे, कच्चे माल के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न देने की अनुमति होनी चाहिए।

(viii) फालतू पुर्जे तथा फोर्क-लिफ्टों, ओवर हैड क्रेनों इत्यादि जैसे मेटीरियल हैंडलिंग उपकरणों को आयात शुल्क से छूट दी जाए।

(ix) स्वदेश में उपलब्ध पूंजीगत माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना अनुज्ञात किया जाए।

(x) सामान (मेटीरियल) को हैंडल करने वाले उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट ओवर हैड क्रेनो तथा भवन निर्माण सामग्री फालतू पुर्जे उपभोक्ता सामग्री यदि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में स्थित इकाइयों द्वारा जहाज मरम्मत इकाईयों को सप्लाई किए जाएं तो उन्हें "समझा गया (डीमूड) निर्यात" माना जाए।

(xi) आय-कर नियमों के अधीन इस समय लागू मशीनरी तथा संयंत्रों पर 33.33% की मूल्य ह्रास की सामान्य दर जहाज मरम्मत उद्योग को भी उपलब्ध होगी।

2 समय-समय पर देश मे आयात-निर्यात नीति के तहत 100% निर्यात परक यूनिटों को मिलने वाली कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं स्वत. ही जहाज मरम्मत उद्योग पर भी लागू होगी।

3. यह जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए गए प्रैस नोट सं० एम डब्ल्यू/एस बी आर/9(6)/82 दिनांक 3 नवम्बर, 1982 का स्थान लेगा।

जी० के० पिल्ले
निदेशक (नौवहन)

(सीमा सड़क विकास मंडल)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1990

संकल्प

सं० एफ० 3(1)/सी०स०वि०मं०/पी० और सी०/बी० एम०/जी० सी०—सीमा सड़क विकास मंडल की स्थापना सन् 1960 में उत्तर और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के लिए की गई थी। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण आर्थिक विकास और रक्षा तैयारी में बाधा पड़ रही थी। सीमा सड़क संगठन को मूलतः सेना के ढांचे पर एक विभागीय निर्माण एजेंसी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। सीमा सड़क संगठन के कार्य क्षेत्र में अब राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार और भूटान को भी सम्मिलित किया गया है। यह संगठन आपातकालीन समय के दौरान सेना की सहायता के लिए वचनबद्ध है।

2. सीमा सड़क संगठन के निर्माण कार्य और अनुरक्षण की लागत की समीक्षा के लिए सन् 1971 और सन् 1977 में दो समितियां गठित की गई थी। इनकी सभी सिफारिशों की जिन्हें मंडल ने स्वीकार किया था, लागू कर दिया गया है। तब से 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है अतः सीमा सड़क विकास मंडल ने अपनी 14 जून, 1990 की बैठक में महानिदेशक (सड़क विकास) जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति के गठन का अनुमोदन किया है जो कि सीमा सड़क संगठन के कार्यों की जांच करेगी और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह संगठन को कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए संरचना, संगठन संबंधी और तकनीकी संबंधी परिवर्तनो के संबंध में और निर्माण कार्यों और अनुरक्षण कार्यों की लागत को कम करने से संबंधित उपायों के बारे में सुझाव देगी। समिति को रिपोर्ट में 10 वर्ष के परिप्रेक्ष्य को ध्यान मे रखा जाना चाहिए। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इन सभी मुद्दों पर पूरी जांच समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी या उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे :—

1. श्री के० के० सरिन, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय	अध्यक्ष
2. श्री विनोद झा, सचिव सीमा सड़क विकास मंडल	सदस्य
3. श्री ए के घोष, अपर वित्त सलाहकार(जी) वित्त मंत्रालय (वित्त/सी०स०)	सदस्य
4. श्री डी एस एन अय्यर, अपर महानिदेशक सीमा सड़क	सदस्य
5. श्री डब्ल्यू० डी० डांडगे, मुख्य अभियंता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित	सदस्य
7. उ० प्र० सेतु निर्माण निगम द्वारा नामित	सदस्य
8. श्री ए० पी० पाण्डियन, उप सचिव(कार्य) सीमा सड़क विकास मंडल	सदस्य

श्री एन एम वर्मा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) प्रवरण कोटि, सीमा सड़क महानिदेशालय, समिति के सचिव होंगे।

3. संदर्भित शर्तें

समिति निम्नलिखित मुख्य मुद्दों की जांच करेगी और इस संबंध मे रिपोर्ट देगी :—

(क) वर्ष 1977 में गठित की गई समिति द्वारा सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण कार्यों की लागत के संबंध में दी गई सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना और विशेषकर संसाधन प्रबंध, इन्वेंट्री नियंत्रण, उपस्करों का उपयोग, अनुरक्षण और प्रशासनिक व्ययों को ध्यान में रखते हुए निर्माण और अनुरक्षण कार्यों की लागत को कम करने के लिए आगे और उपाय सुझाना।

(ख) क्या संगठन की भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कम लागत में निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता (परियोजना) मुख्यालयों, कृतिक बल मुख्यालयों, अन्य कार्यकारी यूनिटों तथा अधीनस्थ यूनिटों के विद्यमान ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ग) क्या वे मानदण्डों/आधार वास्तविक हैं जिनके आधार पर सीमा सड़क संगठन को वर्गों को अनुसूची (एस एस आर एस) बनाया गया है, समिति एस एस आर एस के फार्मेट, विषय और लागत ढांचे में सुधार संबंधी सुझाव दे सकती है।

(घ) क्या श्रेक संगोपनों/मानवशक्ति का वर्ष में किसी भी समय यदि अनुचित उपयोग किया जाता है तो इसको दूर करने/कम करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं।

(ङ) संगठन के कार्यों, गणना और बजट की प्रक्रिया की जांच करना और इसके सुधार के लिए यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उसका सुझाव देना।

(च) सीमा सड़क विकास मंडल कार्यक्रम में सड़कों/प्रोजेक्टों को सम्मिलित करने की विद्यमान प्रक्रिया की जांच करना और विभिन्न एजेंसियों के कार्यों की स्वीकृति देना और यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया को सरलीकृत करना।

(छ) सीमा सड़क संगठन में कार्य निष्पादन की प्रणाली और तकनीकों की जांच करना और सीमा सड़क संगठन में आधुनिकीकरण सहित अपेक्षित तकनीकी सिफारिश करना।

(ज) संगठन में उपस्कर प्रबंध और मरम्मत/ओवरहाल की पद्धति की जांच करना। इसमें सिविल ट्रेड और सेना में किए जाने वाली मरम्मत प्रक्रिया शामिल की जानी चाहिए।

(झ) बड़े पुलों के निर्माण की विद्यमान पद्धति की जांच करना और इस कार्य में और अधिक गति लाने के लिए उपाय सुझाना।

(ट) विभिन्न प्राधिकरणों के प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय शक्तियों के वर्तमान स्तर की जांच करना और जहां कहीं आवश्यक हो इस संबंध में उचित प्रत्यायोजन का सुझाव देना।

(ठ) अन्य संबद्ध बातों की जांच करना जिसे समिति आवश्यक समझती है।

4. समिति को अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार है, यदि वह ऐसा निर्णय करती है।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन अपने कार्य के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य स्थानों पर भी जा सकती है।

6. समिति तुरन्त अपना कार्य शुरु करेगी और इसके गठन की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के गजट, भाग-I खंड 1 में प्रकाशित किया जाए।

विनोद झा
सचिव
सीमा सड़क विकास मंडल

ऊर्जा मंत्रालय

(अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1990

संकल्प

सं० 11015(6)/89-हिन्दी—अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के समय समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० 1-2/8-हिन्दी (खण्ड 1), दिनांक 30 सितम्बर, 1986 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

गठन

1. ऊर्जा मंत्री	अध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
2. श्री मंजईलाल, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
3. श्री शौकत सिंह मकस्सर, संसद सदस्य, लोक सभा	,,
4. श्री आर० एस० नायक, संसद सदस्य, राज्यसभा	,,
5. श्री मनमोहन माथुर, संसद सदस्य, राज्य सभा	,,
6. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य, राज्यसभा	,,
7. श्रीमती पशुपति विद्या, संसद सदस्य, लोकसभा	,,
8. श्री एम०के० वेलायुधन नायर, मंत्री केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम-695014	,,
9. श्री तुलसीराम, भूतपूर्व संसद सदस्य, 5-9-665, प्रथम तल, वर्मन बिल्डिंग, गन फाऊंडरी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य
10. श्री पन्नालाल शर्मा, जज एडवोकेट जनरल, नौ सेना (सेवानिवृत्त) तथा सदस्य, सलाहकार समिति, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्	,,
11. श्री अभय छजलानी, प्रबंध सम्पादक, नई दुनिया, इन्दौर	सदस्य
12. प्रो० प्रताप त्रिवेदी, 23, एल० आई० जी०, डब्ल्यू ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	
13. श्री शिवाजी राव आयरे, अधिवक्ता, लेखक व पत्रकार, साधनापुरी, छपरा (बिहार)	सदस्य
14. 15. 16. } राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाना है।	,, ,, ,,
सरकारी-सदस्य	
17. सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	,,
18 सचिव, राजभाषा विभाग	,,
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	,,
20. निदेशक, सौर ऊर्जा केन्द्र	,,
21. संयुक्त सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	सदस्य-सचिव

2. कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रबद्ध मामलों पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय को सलाह देगी।

3. कार्य अवधि

समिति का कार्यकाल उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, परन्तु

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।

(ग) समिति में मध्यावधि में ही रिक्त हुए स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि के बाकी समय के लिए ही पदधारी रहेंगे।

4. विविध

(क) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी।

(ख) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

(ग) समिति और इस समिति की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान-मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, समदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कृष्ण कुमार जोशी,
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 1990

सं० 24/3/89-स्था० वो० (क)—जल संसाधनों में बृहत् राष्ट्रीय निवेश और इस निवेश से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु जलीय संशोधन द्वारा निभायी जा रही मुख्य भूमिका को देखते हुए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का सरकार का विचार है जो भारत सरकार के संस्थानों तथा विभिन्न राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों में हो रहे अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगी। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खडकवासला, पुणे, जिसे वैज्ञानिक संस्थान घोषित किया गया है, जलीय अनुसंधान में कार्यरत देश की एक अग्रणी प्रयोगशाला है। इस संस्था की तकनीकी सलाहकार समिति देश में हो रहे अनुसंधान द्वारा और संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अर्जित जानकारी के प्रचार पर जोर दे रही है ताकि इस का लाभ देश के संपूर्ण जल संसाधन क्षेत्र तथा जलशक्ति, अंतरदेशीय और सागरी परिवहन आदि जलीय अनुसंधान पर पूरी तरह निर्भर अन्य गतिविधियों को उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला की शासी परिषद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वाकपीठों पर इस अग्रणी संस्था द्वारा निभायी गई भूमिका के बारे में समय समय पर विचार करती है। शासी परिषद ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के लाभों का प्रचार करने के लिए देश को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संस्थानों के बीच स्थानीय पारस्परिक आदान-प्रदान को तुरंत मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए "जलीय अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (इंच)" नामक एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

3. इस समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(1)	निवेशक	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	अध्यक्ष
(2)	सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) या उनके प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से निम्न श्रेणी के न हो।	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
(3)	विकास सलाहकार (पत्तन) या उनके प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से निम्न श्रेणी के न हो।	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
(4)	विकास सलाहकार (जहाज निर्माण) या उनके प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से निम्न श्रेणी के न हो	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
(5)	सदस्य (जल विद्युत) या उनके प्रतिनिधि मुख्य इंजीनियर से निम्न श्रेणी के न हो	केन्द्रीय बिजली प्राधिकारी, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
(6)	अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर के निम्न श्रेणी के न हो	जल प्रदूषण का नियंत्रण तथा रोक, केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
(7)	अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि	गंगा बाढ नियंत्रण आयोग,	सदस्य
(8)	उपाध्यक्ष	ब्रह्मपुत्रा बोर्ड	सदस्य
(9)	प्रतिनिधि	भारतीय पंप विनिर्माता संघ, नई दिल्ली	सदस्य
(10)	प्रमुख इंजीनियर/ मुख्य इंजीनियर	प्रत्येक राज्य का	सदस्य
(11)	मुख्य इंजीनियर (अनुसंधान एवं विकास)	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स, लि०, भोपाल	सदस्य
(12)	निदेशक	राज्य अनुसंधान केन्द्र	सदस्य
(13)	जल विज्ञान के साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय संघों के सदस्यों में से जलीय अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत पांच ख्यातनाम परिषद सदस्य (दो वर्षों की कालावधि के पश्चात् बारी बारी से)		सदस्य
(14)	जलीय इंजीनियरी क्षेत्र के एक मुख्य अनुसंधान अधिकारी		सदस्य-सचिव

(3) समिति का कार्य निम्नानुसार होगा :—

(1) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जलविज्ञान से संबंधित जानकारी को एकत्रित करके जल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर देश में उपलब्ध जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन बनाना और उसका प्रचार करना।

(2) जलीय इंजीनियरी के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें इस देश में हो रहे क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) समिति द्वारा प्राथमिकता देने हेतु पता लगाए गए क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन के लिए विकास कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। जहां आवश्यक हो इसके लिए लगने वाली निधि उपलब्ध करते हुए समिति ने स्वयं अनुसंधान विकास को प्रायोजित करना।

(4) जलीय अनुसंधान से संबंधित संरचनात्मक विकास के लिए राज्य सरकारी संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की सिफारिश करना।

(5) जलीय अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देना तथा इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध कराने की सिफारिश करना ।

(6) जलीय अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारी संस्थानों द्वारा हाथ में लिये गये अनुसंधान अध्ययनों की सिफारिश करना ।

(7) विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने हेतु समिति को सलाह देने के लिए विशेष कृत्रिक बल/विशेषज्ञ बल की नियुक्ति करना ।

(8) जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना । निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए—

(क) विशिष्ट विषयों पर व्यावसायिकों और तकनीशनों के लिए अल्प कालिक पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(ख) भारत या "इनकॉप" क्षेत्र के वैज्ञानिकों या व्यावसायिकों की उपयुक्तता के लिए समिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर जहां आवश्यक हो वहां संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन करना ।

9. सहभाग के लिए नामों की सिफारिश, कागजातों की छानबीन और जलीय इंजीनियरी के विस्तृत क्षेत्रों में अंतर-सरकारी कार्यक्रम और जलीय अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई०ए०एच०आर०) तटीय इंजीनियरी, विशाल बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई० सी० ओ० एल०डी०) विकसनशील राष्ट्रों में तटीय एवं पत्तन इंजीनियरी (सी०ओ०पी० ई० डी०ई०सी०) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और विशिष्ट परिसंवाद के संगठनों में भारत में जलीय अनुसंधान कर्मियों द्वारा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करना ।

10 निम्नलिखित मदों के माध्यम से जलीय इंजीनियरी के मामलों में सुधार और जानकारी का प्रचार करना—

(क) प्रकाशन (i) जलीय क्रियाकलापों आदि पर विभिन्न केन्द्रों से उनके अनुसंधान/सर्वीक्षा पत्रिकाएं, टिप्पणियां और समाचारों की तिमाही पत्रिका आदि (ii) भारतीय संस्थानों में पूरे किए गये स्नातकोत्तर तथा पी०एच०डी० शोध प्रबंध के सार, भारत के विभिन्न संस्थानों में किए गये जल-विज्ञान से संबंधित अनुसंधान कार्य की आलोचनात्मक ग्रंथ सूची (iii) मोनोग्राफ मार्गदर्शी नियमावली तथा अन्य प्रकाशन और

(ख) संदर्भ सूचक और रुचि या इस प्रकार के संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी, परिसंवाद, कार्यशालाएं आदि आयोजित करना ।

11 समिति को प्रस्तुत की गई समस्याओं पर केन्द्र एवं राज्य सरकारी एजेंसियों को सलाह उपलब्ध कराना ।

12 अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समितियों और मंडलों के साथ प्रभावी सहकारिता बनाए रखना ।

4. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पूणे, इस का सचिवालय (सेक्रेटरियट) होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अवतार सिंह चौहान
अवर सचिव

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th November 1990

RESOLUTION

No. DT-1/11(90)/90.—Government of India have decided to constitute the Development Panel for Hydraulic and Pneumatic industry with the following composition for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Mr. M. S. Srinivasan, Executive Director, Vickers Systems International Ltd.

Members

2. Mr. H. K. Shah, Managing Director. Shavo Norgren (I) Pvt. Ltd.
3. Mr. C. P. Rangachar, Managing Director, Yuken India Ltd.
4. Mr. Seethapathi Rao, Chief Executive. Wipro Ltd.
5. Mr. Vinod Rekhi, General Manager Danfoss India Ltd.
6. M. S. Gandhi, Managing Director. G. L. Rexroth Industries Ltd.
7. Mr. G. G. Chitnis, Managing Director, Standard Hydraulic (India) Ltd
8. Representative from M/s L. & T., Bangalore.
9. Representative from M/s Escorts (Tractor Division).
10. Representative from M/s Hindustan Machine Tools, (machine tool division).
11. Representative from M/s Kieckner Windser Ltd.
12. Representative from M/s Bharat Earth Movers Ltd.
13. President from M/s Indian Machine Tool Manufacturers Association.
14. President from M/s. Tractor Manufacturers Association.
15. Representative from M/s Earth Moving Machinery Manufacturers Association.
16. Representative from Mining and Allied Machinery Corporation.
17. Mr. D. B. Malik, Industrial Adviser, DGTD.
18. Dr. D. R. Chawla, Industrial Adviser DGTD.
19. Representative from Bureau of Indian Standards.
20. Representative from Central Machine Tool Institute.
21. Representative from Deptt. of Industrial Development

Member-Secretary

22. Mr. A. S. Pundle,
Development Officer, DGTD

The terms of reference for the proposed development panel would be as follows :

1. To consider the present status and perspective of the industry and to recommend measures for its growth keeping in view the development programme of the related sectors such as machine tools, earth moving machinery, tractors, mining machinery, plastic processing machines and other engineering industries.

2. To identify the areas where gap exists i.e. the sectors where Indian manufacturers so far have not been able to meet the requirement.

3. Sector wise demand existing at present and projection for 8th plan period.

4. To evaluate the present level of technology and to recommend measures to bring the same at par with international levels in the areas of quality control, productivity improvement, energy/material conservation etc.

5. To examine the extent to which standardisation has been achieved and to evolve specific programme for further, standardisation in consultation with the Bureau of Indian Standardisation for which major user sectors should be identified.

6. To Focus on future direction to modernise hydraulic and pneumatic equipment industry.

7. To recommend measures for increasing exports.

8. Research and development.

9. To estimate major inputs required and to identify the areas where such inputs require improvement with regard to quality, price and availability.

10. Any other aspect related to the growth hydraulic and pneumatic equipment industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN,
Director (Adm.) & CVO

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 6th September 1990

RESOLUTION

No. 18-13/89-LD II.—In supersession of resolution No. 37-58/83-LD II dated 26-2-1985 It has been decided by the Government of India to constitute a Management Committee for the Central Poultry Breeding Farms, Central Duck Breeding Farm, Random Sample Poultry Performance Testing Centres, Central Poultry Training Institute and Regional Feed Analytical Laboratories. The constitution of the Management Committee will be as under :—

Chairman

(i) Special Secretary (G)

Members

(ii) Animal Husbandry Commissioner

(iii) Financial Adviser

(iv) Deputy Secretary/Director (AH).

(v) Directors/Superintendants/Nutritionists of CPBFs/CDBF/CPTI/RSPPTCs/RFALs

Member-Secretary.

(vi) Joint Commissioner (Poultry).

2. The Management Committee shall perform the functions and exercise the powers given below :

(a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce changes necessary to meet the requirements of the schemes;

(b) review progress of implementation of the programmes of work of the farms;

(c) consider and approve changes in the annual programmes involving substantial re-allocation of funds in relation to the approved programmes subject to restriction on powers of re-appropriation;

(d) consider and recommend policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the scheme;

(f) the Management Committee shall exercise all the powers delegated to the Ministries of the Central Government under Rule 13(2) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 as per the provisions of the said Rules.

This delegation will not however cover the following powers :

(i) creation of posts,

(ii) write off of losses and

(iii) re-appropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision.

3. The Management Committee may meet twice a year and even more frequently, if necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, All Ministries/Department of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue, the Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agricultural Research and Director General Shipping.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JANAK JUNEJA,
Dy. Secy.

MINISTRY OF WELFARE

(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

PREM (RESEARCH) DIVISION

New Delhi-110002, the 6th November 1990

RESOLUTION

F. No. 4-5/89(R) PREM(WCD).—The Research Advisory Committee on Social Welfare aspect of Child and Women Development is hereby reconstituted to advise the Department of Women and Child Development in regard to :—

(i) promotion, coordination and utilisation of research in the area of women and Pre-school Children Policy formulation and development

(ii) identification of areas of research and study and identification of priorities,

(iii) methodological soundness, importance, adequacy and costs of proposals for research and study submitted to Department to Women and Child Development for financial support; and

(iv) any other matter relating to the promotion of research on the above subjects

2. The Committee will have the following Members —

Chairman (Ex-officio)

(1) Secretary (WCD)
Department of Women and Child Development, New Delhi

Members (Ex-officio)

(2) Joint Secretary (I/C Research)
Department of Women and Child Development, New Delhi.

(3) Executive Director
Central Social Welfare Board
New Delhi.

(4) Director
National Institute of Public Coop. and Child Development (NIPCCD)
New Delhi.

(5) Director
Indian Council of Medical Research
New Delhi.

(6) Joint Advisor (Social Welfare)
Planning Commission, New Delhi.

(7) Deputy Registrar General (Social Studies)
Ministry of Home Affairs
New Delhi.

(8) Director (Research)
Indian Council of Social Science Research
35, Ferozshah Road, New Delhi,

Members

(9) Prof. Indira Chakravarty
Head, Department of Nutrition
All India Institute of Hygience and Public Health, Calcutta.

(10) Director
Tata Institute of Social Sciences
Bombay.

(11) Dr. R. Murlidharan
Professor
Department of Pre-school Education
N.C.E.R.T., New Delhi.

(12) Dr. S. K. Bhargava
D-7, Gulmohar Park,
New Delhi.

(13) Shri Sudhakar Prasad Singh
K-2135, Chittaranjan Park, New Delhi.

(14) Dr. (Mrs.) V. Meera Raghavan
Professor in Psychology
Delhi University (South Campus), New Delhi.

(15) Dr. (Mrs.) Ashagari Mobiuddin
Director (Women Cell)
National Institute of Rural Development
Hyderabad.

(16) Dr. (Mrs.) Arati Ganguly, Director
Women's Research Centre, Calcutta.

(17) Mrs. Renu Sarin
A-4/4, Vasant Vihar, New Delhi

(18) Dr. Saraswati Swai
20, Akbar Road, New Delhi-110 011

(19) Dr. J. Partheepan
87, M.C. Road. Ambur
Dr. Ambedkar District, Tamil Nadu.

(20) Dr. Sucharu Hasini Patra
20, Akbar Road, New Delhi-110 001.
Member Secretary (Ex-officio)

(21) Director (Research)
Department of Women and Child Development
New Delhi

3. The tenure of the Members of the Committee will be upto 30 June 1993 Government may extend or Curtail this period.

4. No remuneration will be paid for the membership of the Committee. The official member will, however, be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment inaccordance with the rules applicable to them in their respective Departments. The non-official members of the Committee will be entitled to claim TA DA for their journies to attend meetings as admissible to First Grade Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

MRS. M. A. CHAUDHRY,
Jt. Secy.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(SHIPBUILDING & SHIPREPAIR WING)

New Delhi, the 10th October 1990

No. SY-22013/7/89-SBR.—Keeping in view the imperative need for development of indigenous Shiprepair Industry, in the context of huge foreign exchange expenditure on repairs of Indian vessels abroad and the scope for foreign exchange earnings from repair of foreign vessels in Indian Shipyards, the Government approved in 1982 certain specific concessions/facilities available to vessels in Indian Shipyards, the Government approved in 1982 certain specific concessions/facilities available to 100% Export Oriented Units to the Shiprepair Industry for repair of ocean-going vessels, both Indian and Foreign. Accordingly, a Press Note No. SW/SBR/9(6)/82 dated the 3rd November, 1982 was issued by the then Ministry of Shipping & Transport (Shipping Wing). However, over the years, a number of other concessions and facilities have been given to hundred percent EOUs which were not available to the Shiprepair Industry. In order to extend similar additional facilities to the Shiprepair Industry, the Govt. have now approved further concessions. Accordingly, following overall benefits will be extended to the Shiprepair Industry for ocean-going vessels :—

(i) Customs authorities may provide bonded facilities to the units wherever they are located.

(ii) In addition to the present facility of import of components, raw materials and consumables without import duty, import of capital goods required by the industry should also be exempted from import duty.

(iii) Imports of capital goods, components, raw materials and consumer goods, as and when required, be permitted.

(iv) The import of capital goods may be allowed against free foreign exchange or bilateral credits in such a way that the cost of the unit is not unduly raised.

(v) Foreign collaboration or temporary assistance by foreign specialists may be permitted on merits of each case.

(vi) Conditions for dilution of foreign equity in the case of units covered by FERA would not be enforced for investment in shiprepair industry. The Large Houses or the MRTP units may also be permitted to borrow from financial institutions at normal debt/equity ratio for investment in this industry.

(vii) The indigenously available components and raw materials may be allowed without payment of Central Excise Duty.

(viii) Spares, material handling equipment such as fork-lifts, overhead cranes etc. may be exempted from import duty.

(ix) Indigenously available capital goods may be allowed without payment of Central Excise Duty.

(x) Materials handling equipments, such as forklift, overhead cranes and building construction materials, spares, consumables, if supplied to shiprepair units by units in the domestic tariff area, may be treated as 'Deemed Exports'.

(xi) The general rate of depreciation of 33.33% on machinery and plant now operating under the Income Tax Rules will also be available to the Shiprepair Industry.

2. Automatic extension of any addi ional facilities that may be extended to the 100% Export Oriented Units under the Import-Export Policy of the country from time to time will also be applicable to the Shiprepair Industry.

3. This supersedes earlier Press Note No. SW/SBR/9 (6)/82 dated 3rd November, 1982 issued by the Ministry of Surface Transport.

G. K. PILLAI,
Director (Shipping)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 12th October 1990

RESOLUTION

No. F. 3(1)/BRDB/P&C/BM/GC.—The Border Roads Development Board (BRDB) was set up in March 1960, to co-ordinate the development of road communications in the North and North Eastern Border areas as inadequate facilities were seriously hampering economic development and defence preparedness in border areas. The Border Roads Organisation was raised as a departmental construction agency basically modelled on the pattern of the Army. The area of operation of the BRO has now extended to include Rajasthan, Andaman & Nicobar Group of Islands, Bihar and Bhutan. The Organisation has commitment to provide support to the Army during times of emergency.

2. Two Committees had been set up in the past-one in 1971 and another in 1977—to go into the cost of construction and maintenance of BRO. All the recommendations that had been accepted by the Board have since been implemented. As more than 10 years have passed since a Committee last studied the Organisation, the BRDB, in its meeting held on 14th June 1990 approved the setting up of another Committee under the Chairmanship of the Director General (Road Development) of the Ministry of Surface Transport to examine and report on the working of BRO and indicate changes—structural, organisational and technical-necessary to enable it to discharge its duties more efficiently and to suggest measures for reducing cost of construction and maintenance. The report of the Committee should have a 10 year perspective in view. It has therefore been decided that a thorough examination of these questions should be undertaken by a Committee comprising the following Officers or their successors :—

Chairman

1. Shri K. K. Sarin, DG(RD) & Addl. Secy. Ministry of Surface Transport.

Members

2. Shri Vinod Jha, Secretary, BRDB.

3. Shri A. K. Ghosh, Addl. FA(G) Ministry of Defence (Fin/BR).

4. Shri DSN Ayyar, Addl. DGBR.

5. Shri W.D. Dandage, Chief Engineer CPWD.

6. Nominee of Govt. of Himachal Pradesh.

7. Nominee of UP Bridge Construction Corporation.

8. Shri A.P. Pandian, Deputy Secretary (W) BRDB.

Shri L.M. Verma, SE (C) SG, DGBR will be the Secretary of the Committee.

3. *Terms of Reference*

The Committee will examine and report on the following major issues :

(a) The extent to which the measures recommended by the Committee on cost of construction and maintenance of the roads, set up in 1977, have been implemented; assess their impact and suggest further measures for reducing the cost of construction and maintenance, with particular reference to resource management, inventary control, equipment utilisation, maintenance and administrative expenditure.

(b) Whether the existing set up of Chief Engineer (P) HQrs., Task Force HQrs and other functional and supportive units would require any changes for executing original and maintenance works and to achieve economy without adversely affecting the role of the organisation.

(c) Whether the assumption/bases on which the latest DGBR Schedule of Rates (SSRs) have been framed are realistic. The Committee may suggest improvements in the format, content and costing patterns of the SSRs.

(d) Whether there is under-employment of GREF resources/manpower at any time of the year and if so, what measures would require to be taken to eliminate/reduce it.

(e) Examine the works, accounting and budgeting procedure of the organisation and suggest changes, if any, for improvement.

(f) Examine the existing procedure for inclusion of roads/projects in the BRDB programme, and sanction of works of various agencies and suggest a simplified procedure, if required.

(g) The methodology and technique in BRO for execution of works and to recommend the desirable technology in BRO including the need for modernisation.

(h) Examine the equipment management and repair/overhaul procedure of the organisation. This should include framing out repairs to civil trade and Army.

(i) Examine the present system of constructing major bridges and suggest measures for accelerating this activity.

(j) Examine the existing level of administrative, technical and financial powers of the various authorities and suggest suitable delegation wherever necessary.

(k) Examine any other points considered relevant by the Committee.

4. The Committee shall have the powers to co-opt additional members, if it so decides.

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places as may be necessary in connection with its work.

6. The Committee will commence work immediately and submit its report within six months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that resolution be published in the Gazette of India, Part I Section 1

VINOD JHA,
Secy.
Border Roads Development Board

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES)

New Delhi-110003, the 8th November 1990

RESOLUTION

No. 11015(6)/89-Hindi.—In supersession of the Deptt. of Non-Conventional Energy Sources Resolution No. 1-2/86-Hindi (Part-I) dated the 30th September, 1986, as amended from time to time, the Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Department of Non-Conventional Energy Sources, Ministry of Eenergy as follows :—

Chairman

1. Minister of Energy.

NON-OFFICIAL MEMBERS

Members

2. Shri Manjai Lal, M.P. Lok Sabha.
3. Shri Shopat Singh Makkasar, M.P., Lok Sabha.
4. Shri R. S. Nayak, M.P., Rajya Sabha.
5. Shri Man Mohan Mathur, M.P., Rajya Sabha.
6. Shri Atal Bihari Bajpayee, M.P., Rajya Sabha
7. Smt. Chennupati Vidya, M.P., Lok Sabha.
8. Shri M. K. Velayudhan Nayar, Mantri, Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivendrum.
9. Shri Tulsi Ram, Ex-M.P., 5-9-665, 1st Floor, Burman Building, Gun Foundary, Hyderabad (A.P.).
10. Sh. Panna Lal Sharma, Judge Advocate General, Navy (Retired) and Member, Salahkar Samiti, Kendriya Sachivalaya, Hindi Parishad.
11. Shri Abhay Chhajlani, Managing Editor, Nai Duniya, Indore.
12. Prof. Pratap Trivedi, 23, LIG, W-Block, Kidwai Nagar, Kanpur (UP).
13. Sh. Shivaji Rao Aayade, Advocate, Writer & Journalist, Sadhanapuri, Chapra (Bihar).
14. }
15. } (To be nominated by the Deptt. of Official
16. } Language.).

OFFICIAL MEMBERS

Members

17. Secretary, Deptt. of Non-Conventional Energy Sources.
18. Secretary, Deptt. of Official Language.
19. Joint Secretary, Department of Official Language.
20. Director, Solar Energy Centre.

Member-Secretary

21. Joint Secretary, Deptt of Non-Conventional Energy Sources

Functions :

The Samiti shall advise the Department of Non-Conventional Energy Sources, Ministry of Energy on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes

Tenure :

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :

(a) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament; and

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(c) Members appointed against mid-term vacancies shall hold office only for the residual period of the three years tenure

General

(a) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees as may be deemed necessary.

(b) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(c) The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Govt. of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Ministers' Office, Cabinet Sectt., Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, Rajya, Sabha Secretariats; Planning Commission, President's Sectt., and all the Ministries/Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. K. JOSHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 29th October 1990

No. 24/3/89-E. II(A).—Taking into account the large national investment in water resources, and the key role played by the hydraulic-research in maximising the output from this investment, Government has been contemplating the setting up of a High Level Technical Committee to coordinate the research work in water resources being undertaken by Central Government institutions and those with the irrigation/water resources departments of the various states. The Central Water and Power Research Station (CWPRS), Khadakwasla, Pune, which has been declared a scientific institution is the premier laboratory in the country engaged in hydraulic research. The Technical Advisory Committee of the institution has been emphasising the necessity of disseminating information acquired from in house research and that obtained through international agencies such as the UNDP, so that the benefits are available to the entire water resources sector in the country and other activities such as hydropower, inland and ocean transport etc. which depend and rely heavily on hydraulic research.

The Governing Council of the CWPRS has also been deliberating the role to be played by this premier Institution both in national and international forums, from time to time. It has been emphasised by the Governing Council that in order to disseminate the benefits of international cooperational there is an urgent need for strengthening local interaction between Central and State Governments institutions in the country.

In keeping with the above views it is hereby resolved to set up a High Level Committee to be called the Indian National Committee on Hydraulic Research (INCH).

2. The composition of the Committee will be as follows :

Chairman

(i) Director, CW&PRS, Pune.

Members

(ii) Member (Designs & Research) or his representative not below the rank of Chief Engineer, Central Water Commission, New Delhi.

(iii) Development Advisor (Ports) or his representative not below the rank of Chief Engineer, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi.

(iv) Development Advisor (Ship Building) or his representative not below the rank of Chief Engineer, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi.

(v) Member (HE) or his representative not below the rank of Chief Engineer, Central Electricity Authority, Min. of Energy, New Delhi.

(vi) Chairman or his representative not below the rank of Chief Engineer, Central Board of Prevention and control of Water Pollution, New Delhi.

(vii) Chairman or his representative not below the rank of Chief Engineer, Ganga Flood Control Commission.

(viii) Vice Chairman, Brahmaputra Board.

(ix) Representative of Indian Pump Manufacturers Assn., New Delhi.

(x) Engineers-in-Chief/Chief Engineers of each State.

(xi) Chief Engineer (R&D), Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal.

(xii) Directors of State Research Stations.

(xiii) Five eminent academicians working in the area of hydraulic research (to be rotated after a term of two years) from amongst the members of National/International Associations dealing with Hydraulics.

Member-Secretary

(xiv) Chief Research Officer, CWPRS from one of the Hydraulic Engineering disciplines.

3. The functions of the Committee shall be as follows :—

(i) To prepare and periodically update the state of art in the country in different branches of hydraulics by collecting relevant information relating to hydraulics from national and international organisations and disseminating the same;

(ii) To identify areas in the field of hydraulic engg. which need immediate attention in order to bring up the level of activity in the country to international standards;

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activity in the fields which have been identified by the Committee as priority areas. Where necessary, the Committee itself should sponsor research/development by providing the necessary funds;

(iv) To recommend Central Govt. funding to State institutions for infrastructure development relate to hydraulic research;

(v) To accord recognition to centres of excellence in different branches of hydraulic research and recommend Central funding thereof;

(vi) To recommend research studies to be undertaken by Central and State Govt. institutions in the field of hydraulic research;

(vii) To appoint special task forces/expert panels to consider special problems for advice to the Committee

(viii) To promote education and training in the field of hydraulic engineering. Special attention may be paid to (a) organising short-term courses for professionals and technicians on specialised topics; and (b) organising international training seminars with the assistance of UNDP/UNESCO or other international organisations, where required on topics which are considered by the Committee to be of importance to the professionals and Scientists in India or the ESCAP region.

(ix) To ensure effective participation by hydraulic research workers in India in International Congresses and speciality conferences of organisations such as IAPR, Costal Engineering, ICOLD, COPEDEC etc. and other inter-Govt. programmes in the board area of hydraulic engineering including screening of papers, recommending names for participation etc.

(x) To disseminate information and thereby promote improvement in the standards of hydraulic engineering by (a) publishing : (i) a quarterly journal containing research/review papers, notes, news from various centres on their hydrological activities etc. (ii) annotated bibliography on hydraulics referring to the research work done in different institutions in India including abstracts of the post graduate and Ph.D. theses completed at Indian Institutions and (iii) monographs, guide manuals and other publications, and (b) organising national and international symposia, seminars, workshops etc. on topics of relevance and interest or supporting such events.

(xi) To provide advice to Central and State Government agencies on the problems referred to the Committee;

(xii) To maintain effective co-operation with other National and International Committees and Bourds

4. The CWPRS, Pune would be the Secretariat of INCH

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be Published in the Gazette of India.

A. S. CHAUHAN, Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1990

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, DELHI—1990